

(3)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF
THE CRIMINAL
CODE, 1898

In the court of .

जेएमएफसी गोहद

प्रकरण क्रमांक 75 / 2018

Name and address of the complain म0प्र0 शासन द्वारा पुलिस थाना
गोहद

name, parentage, caste and address of accused-

1. केशव S70 मल्लव जात R10-
विषयी हाथ गोहद पोरहा डि.व

The offence complained of, and date of its alleged
commission

कप भिओ 29-4-18 वी वम्मा की वसिपा
मिड गोहद 10 नवम्बर 2018 को केशव केशव
के केशव केशव के व (केशव के)

The plea of the accused and bis examination [if any]--

आरोपी का अभिवाक-

कप भिओ - (केशव के)
अरोप

The offence proved, if any in, case under clause (d),
clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of
section 260, the value of the property in respect of which the
offence has been committed.

(शिवानी शर्मा)
जेएमएफसी गोहद

// निर्णय //

(आज दिनांक 15-5-19 को पारित किया गया)

1. अभियुक्त को आबकारी अधिनियम की धारा 34- के अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनायी एवं समझायी जाने पर उसने अपराध करना स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार किया है आरोपी की स्वेच्छा स्वीकारोक्ति पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है अतः उक्त स्वेच्छा स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्धि ठहराया जाता है।
2. अभियुक्त के प्रथम अपराध होने एवं प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए उसे न्यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदण्ड अधिरूपित करने से ही न्याय के उद्देश्यों से ही पूर्ति हो सकती हैं।
3. फलस्वरूप आरोपी को धारा 34 के अंतर्गत न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1100/- रुपये के अर्थदंड तथा अर्थदंड की राशि में व्यतिक्रम होने पर 15 दिवस के साधारण कारावास के दंड से दंडित किया जाता है।
4. प्रकरण में मुददे माल की ओर भेजी जावे
5. आरोपी स्वतंत्र हो।

स्थान—गोहद

दिनांक— 15-5-19

निर्णय आज दिनांकित एवं
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

(शिवानी शर्मा)
जेएमएफसी गोहद

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

(शिवानी शर्मा)
जेएमएफसी गोहद